संख्या-52/2021/1723/58-2011

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग लखनऊः दिनांकः 17 सितम्बतर 2021

विषयरू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-03-नर्सरी -0311-बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र में औद्यानिक विकास की योजना के अन्तर्गत 27-सब्सिडी मद में प्रथम त्रैमास माह जुलाई से सितम्बर हेतु रु0-168.81 लाख की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-52/बजट/2021-22, दिनांक 02-9-2021 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-03-नर्सरी -0311-बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र में औद्यानिक विकास की योजना के अन्तर्गत 27-सब्सिडी मद में त्रैमासवार फेजिंग के अनुरूप प्रथम त्रैमास माह जुलाई से सितम्बर हेतु कुल धनराशि रु0- रु0-168.81 लाख (रू0 एक करोड अड़सठ लाख इक्यासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न. शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा, जब यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।
3. प्रस्ताव में ऑकड़ों की शुद्धता का दायित्व विभागाध्य क्ष का होगा।
4. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह विभागाध्यतक्ष का उत्तरदायित्व रहेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

6. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

7. सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहाँ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय।

8. विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

9. कोषागार से एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

10. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021- 231/2021, दिनांक 22.3.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यनय वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-03-नर्सरी -0311-बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र में औद्यानिक विकास की योजना के अन्तर्गत 27-सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-1-1045-दस-2021-2022, दिनांक-16 सितम्बिर, 2021 में प्राप्ती उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव

संख्या 52/2021/1723(1)/58-2021 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्निलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) वित्त नियंत्रक, निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय , जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

(6) वित्त (व्यंय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in